

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या-एम०डी०एस०-3/पीजी-2026/1549

लखनऊ: दिनांक 19/08/2026

## यू०पी० नीट- एम०डी०एस० 2026 की प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- नीट एम०डी०एस०-2026 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू०पी० नीट एम०डी०एस० 2026 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
- नीट एम०डी०एस०-2026 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर लॉगिन कर पंजीकरण किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा अर्थात् पंजीकरण शुल्क Non Refundable है।
- अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सिक्क्योरिटी धनराशि ऑन-लाइन माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे:-

| क्र०सं० | विवरण                                               | धरोहर धनराशि (Security Money)   |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | राजकीय क्षेत्र की एम०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों हेतु | रु० 30,000 (रु० तीस हजार मात्र) |
| 2.      | निजी क्षेत्र की एम०डी०एस० पाठ्यक्रम सीटों हेतु      | 1,00,000 (रु० एक लाख मात्र)     |

- काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) रु० 1,00,000 जमा करने पर अभ्यर्थी राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह होंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज की सीटों पर आवंटन हेतु अपनी वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाइस भरी जाये। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाइस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन प्रक्रिया से स्वतः बाहर हो जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क लिये जाने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क लिये जाने के संबंध में डेन्टल कालेज के प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के संबंध में उक्त आशय का अण्डरटेकिंग संबंधित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न करायी जायेगी। नोडल सेन्टरों की सूची नीट एम०डी०एस० 2026 की काउन्सिलिंग हेतु जारी ब्रोशर में प्रदर्शित है, जो कि विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> एवं [www.dgme.up.gov.in](http://www.dgme.up.gov.in) पर उपलब्ध है।
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2026 अथवा इसके पश्चात् का बना होना अनिवार्य है।

- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र-, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, **Director General of Health Services (DGHS) व Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi** द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का दिव्यांगता प्रमाणपत्र मान्य - नहीं होगा। दिव्यांगता के सम्बन्ध में एनएमसी, नई दिल्ली द्वारा समयसमय पर जारी गा-ईड-लाईन्स में निहित निर्देश ही मान्य होंगे।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु राजकीय डेण्टल कालेज / संबंधित नोडल सेन्टर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक / आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य प्रमाण पत्र आवंटित राजकीय डेण्टल कालेज / संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

**Help Line Numbers - 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700**